

हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार अन्तर्गत बिहार राज्य हज समिति के हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा 64वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की आवासीय कोचिंग एवं मार्गदर्शन हेतु आवेदन पत्र भरने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशः—

1. बिहार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के इच्छुक आवेदकों से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजना अन्तर्गत हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा 64वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की आवासीय कोचिंग एवं मार्गदर्शन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र हज भवन, 34 अली इमाम पथ, हार्डिंग रोड, पटना स्थित बिहार राज्य हज समिति के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को दिनांक 13.08.2018 से 01.09.2018 के अपराह्न 05:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र सभी जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करके भी प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र बिहार राज्य हज समिति के वेबसाईट **biharstatehajcommittee.org** से भी डाउनलोड करके प्रयोग किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन पत्र वांछित अनुलग्नकों के साथ बिहार राज्य हज समिति के कार्यालय में हाथो हाथ अथवा डाक से प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 01.09.2018 के अपराह्न 06:00 बजे तक निर्धारित है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. सभी इच्छुक आवेदकों को आवासीय कोचिंग में नामांकन हेतु दिनांक 03.09.2018 के अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक दो घंटे का हज भवन पटना में 150 अंकों की सामान्य अध्ययन की वस्तुनिष्ठ प्रकृति की लिखित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेधासूची बनाया जाएगा तथा उसी आधार पर 75 इच्छुक आवेदकों का चयन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा हज भवन, पटना स्थित बिहार राज्य हज समिति के कार्यालय में दिनांक 05.09.2018 को अपराह्न 04:00 बजे किया जाएगा।
3. प्रवेश परीक्षा में सफल आवेदकों को दिनांक 05.09.2018 से 07.09.2018 तक हज भवन स्थित बिहार राज्य हज समिति के कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग में अपना नामांकन कराना अनिवार्य होगा। नामांकन के समय सुरक्षित राशि के रूप में 1000/- रुपये जमा करना पड़ेगा जो कोचिंग की समाप्ति के उपरांत जमाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। कोचिंग/वर्ग संचालन दिनांक 08.09.2018 से आरम्भ होगा।
4. कोचिंग के इच्छुक नामांकन कराने वाले आवेदकों को आवासन, कोचिंग कुछ महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री, पुस्तकालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा जबकि हज भवन के मेस में तीनों समय के भोजन एवं चाय हेतु उन्हें 3000/- (तीन हजार) रुपये प्रतिमाह अग्रिम जमा करना पड़ेगा।
5. विषयांकित आवासीय कोचिंग सामान्यतः तीन महीने का होगा जो सामान्यतः प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा तक जारी रहेगा एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 64वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एवं आवश्यक मार्गदर्शन केन्द्र बिन्दु रहेगा। कोचिंग हेतु नामांकन कराने वाले सभी आवेदकों के हज भवन परिसर में ही अपना आवासन रखना पड़ेगा तथा बिना संचालक/निर्देशक की पूर्वानुमति के परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी।

6. कोचिंग में पढ़ाने एवं मार्गदर्शन देने वालों की सूची में सक्षम शिक्षकों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पूर्व में सफल प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी समिलित रहेंगे जो अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे। आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण विषयों पर विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग एवं मार्गदर्शन के अतिरिक्त विषयवार टेस्ट सीरीज का आयोजन भी कोचिंग कार्यक्रम का अंश रहेगा।
7. अतिरिक्त जानकारी के लिए हज भवन, पटना स्थित बिहार राज्य हज समिति के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है तथा आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय से निःशुल्क उपलब्ध कराये गए आवेदन पत्र की छायाप्रति में भी आवेदन समर्पित किया जा सकता है।
8. आवेदकों के आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्राणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है :—
 - (क) मैट्रिक / 10वीं का प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के सत्यापन हेतु)
 - (ख) स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
 - (ग) 64वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की ऑन लाईन आवेदन पत्र की सत्यापित प्रति।
 - (घ) आवेदक का फोटोयुक्त परिचय पत्र की छाया प्रति (आधार कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट इत्यादि)।
 - (ङ) आवेदक का दो पासपोर्ट साईज का फोटो। इसमें से एक प्रति आवेदन पत्र के पृष्ठ संख्या 1 पर नियत स्थान पर चिपकाएं एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ पर संलग्न करें।
 - (च) यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से है तो पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कीमीलेयरहित/ जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
9. अतिरिक्त जानकारी हेतु दूरभाष संख्या—06122203315 एवं 9934911486 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
10. प्रवेश परीक्षा में समिलित होने हेतु आवेदक अपना **क्लीप बोर्ड (Writing Pad)** तथा बॉल प्लाइन्ट पेन साथ में अवश्य लाये।
11. नामांकन के उपरान्त सभी आवेदकों को हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा हज भवन पटना में उपलब्ध कराये गये निर्धारित कमरे/ हॉल में अपना आवासन रखना तथा भोजन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में पंजीकृत आवेदकों को हज भवन में भोजन बनाने अथवा बाहर भोजन करने की अनुमति नहीं रहेगी।
12. अधूरे तथा वांछित अनुलग्नकों के बिना भरे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। भरे हुए आवेदन पत्र को स्कैन करके ईमेल (biharstatehajcommittee@gmail.com) पर भी भेजा जा सकता है परन्तु प्रवेश परीक्षा के पूर्व समर्पित आवेदन पत्र की मूल प्रति के साथ आवेदक के प्रवेश परीक्षा में समिलित होना अनिवार्य होगा।

समन्वयक
हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग एवं
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य हज समिति, पटना।